कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक–UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP COTPA, 2003/3659 दिनांक: 01/05/2018

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, (देहरादून को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

विषय– **NTCP कार्यक्रम के अन्तर्गत छापामार दल के गठन के सम्वन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कोटपा, 2003 की धारा 5 तथा 7 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद स्तर पर एक छापामार दल का गठन किया जाना है। जिसके सम्वन्ध में कई बार विभिन्न बैठकों के माध्यम से आपको निर्देशित किया जा चुका है। धारा–5 के द्वारा सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध किया गया है तथा धारा–7 द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण पर निर्वन्धन किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–420 / XXVIII-3-2009-213/2001, दिनांक 8 दिसम्वर, 2009 तथा अधिसूचना / संशोधन संख्या–332 / XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 05 अप्रैल 2010 द्वारा कोटपा 2003 की धारा 12, 13 एवं 25 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**:–

अधिकारी	विभाग
ड्रग इन्स्पेक्टर	स्वास्थ्य विभाग
मुख्य खाद्य निरीक्षक	स्वास्थ्य विभाग
मनोरंजन कर निरीक्षक	वित्त विभाग
वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक	खाद्य विभाग
राजस्व निरीक्षक	राजस्व विभाग
पुलिस उप निरीक्षक	गृह विभाग
श्रम प्रवर्तन अधिकारी	श्रम विभाग
सहायक प्रबन्धक	उद्योग विभाग

उक्त प्राधिकृत अधिकारियों को धारा 12 और 13 के अन्तर्गत किसी परिसर में प्रवेश करने, खोज करने और ऐसी सामग्री जब्त करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके द्वारा धारा 5 व 7 का उल्लंघन किया जा रहा हो। आपके जनपद में आतिथि तक धारा 5 व 7 के अन्तर्गत छापामार दल का गठन नहीं किया गया है। यदि जनपद स्तर पर छापामार दल का गठन किया भी गया है तो इसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः कोटपा, 2003 की धारा 5 तथा 7 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित् करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त)
मिशन निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned by CamScanner